

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

113 – मकराना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री रूपा राम, भाखरों की ढाणी, मकराना जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए। उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र में उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान :- श्री बी.आर.मिर्धा राजकीय महाविद्यालय, नागौर।

तारीख :- 11 दिसम्बर 2018

(अशोक कुमार चौधरी)

रिटर्निंग अधिकारी

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 113 –मकराना

(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मकराना)

(अशोक कुमार चौधरी)

रिटर्निंग अधिकारी

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मकराना - 113

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मकराना

\* जो समुचित न हो उसे काट दीजिए।

FORM 21C

See rule (64)

(For use in General Election when Seat is Contested)

**Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the people Act. 1951**

**Election to the Legislative Assembly of the RAJASTHAN from Makrana - 113 Assembly Constituency**

---

In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the people Act. 1951, read with rule 64 of the conduct of Elections Rules 1961, I declare that **Shree Roopa Ram, Bhakhron ki dhani, Makrana** Sponsored by **Bharatiya Janata Party** has been duly elected to fill the seat in that house from the above Constituency.

Place Sh. B.R. Mirdha Govt. College, NAGAUR

Date 11-12-2018



( Ashok Kumar Choudhary)

Returning Officer

Legislative Assembly Constituency, 113-Makrana

(Sub Divisional Officer And Sub Divisional

Magistrate, Makrana)

**(अशोक कुमार चौधरी)**

**रिटर्निंग ऑफिसर**

**विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मकराना-113**

**उपखण्ड अशोकपुरी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मकराना**